बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

ांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–110 / 2019 6487 / पटना, दिनांक– 13/12/19

षक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

वा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

षयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

हाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 ला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव य के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये नके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification with surface renewal (in lakh)	Five Year Maintenance Cost (in lakh)	Cost of Emergent Repair (10%)	Total Estimated Cost (in lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madhubani	Kaluahi	Repair of Road from Narar Training Chowk To Narar Purvi	1.500	53.15700	12.78600	5.31570	71.[illegible]
2	Madhubani	Khajauli	Repair of Road from Bhatchoura To Kharbanna	3.100	55.86100	26.74700	5.58610	88.[illegible]
3	Madhubani	Khajauli	Repair of Road from Khajauli To Jaynagar	4.000	68.38300	35.39500	6.83830	11[illegible]30
4	Madhubani	Khajauli	Repair of Road from Thahar To Laxmipur	2.700	50.75100	24.20900	5.07510	80.[illegible]10
5	Madhubani	Pandaul	Repair of Road from Hati (Sarisaw Pahi) To Phutani Chowk	2.600	33.02800	8.07300	3.30280	[illegible]
6	Madhubani	Pandaul	Haripur Chowk To Takurain Tola	0.900	51.91800	6.05000	5.19180	63.[illegible]
7	Madhubani	Pandaul	T05 Navtoliya To Sishwa	4.175	114.94100	40.89200	11.49410	167.[illegible]
8	Madhubani	Rahika	PMGSY Road To Kal Tola Durga Asthan	0.900	55.42000	7.36400	5.54200	68.32600
9	Madhubani	Rahika	T01 to Sahua Mushari To Sahua Mushari	0.650	31.26600	7.04000	3.12660	41.[illegible]
10	Madhubani	Rahika	Nidhi Chowk To Machchhata Chowk Bhauarara Via Hawai Adda	0.900	47.79000	8.13800	4.77900	60.70[illegible]

9/12/19

M.K.

Sl. No.	Division	Block	Name of Road	Length (in Km)	Cost of Initial Rectification with surface renewal (in lakh)	Five Year Maintanance Cost (in lakh)	Cost of Emergency Repair (10%)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Madhubani	Rajnagar	Repair of Road from Barhara REO Road To RCD Road Chichari Via Laggadih	3.400	56.87000	26.99000	5.68700
12	Madhubani	Rajnagar	Repair of Road from Rampatti To Rajnagar Via Singiyaun	4.900	83.45200	38.34800	8.34520
Total				29.725			

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, मधुबनी योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु नि व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्र पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मे
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत् MBD आधारित ई–निविदा से आम का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का संचिका संख्या–मु0अ0–4(मु0)–3054–04–64/2019 में दिनांक–01.06.2019, 15. तथा 05.09.2019 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधि महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 23.11.19 को संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–110/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्रा प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णि योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित
10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत उपलब्धता के आधार पर ग्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उप की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, नहीं।